Confidential
Not for Publication

Con. No. 42
Vol. XLIX

PROCEEDINGS OF THE EMERGENCY CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVE BODIES IN INDIA

HELD AT NEW DELHI ON 4TH FEBRUARY, 2006

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

APRIL, 2006

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा: परम आदरणीय माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री अटवाल जी, राज्य सभा के माननीय उप-सभापति श्री के॰ आर॰ रहमान जी, सम्मानित पीठासीन अधिकारीगण, लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव तथा विधान मंडलों के सचिवगण, सर्वप्रथम मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोक सभा के माननीय अध्यक्ष का अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने ज्वलन्त समस्याओं तथा देश के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए आज यह बैठक बुलाई है। संसदीय प्रणाली की सर्वोच्चता एवं सार्वभौमिकता के लिए संसदीय संस्थाओं को विशेषाधिकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे लोकतंत्र में संसदीय संस्थान स्वतंत्र निर्णय एवं स्वायत्त रूप से कार्य कर सकें, जो प्रजातंत्र की सफलता के मूलाधार हैं। संविधान सभा में दिनांक 10 सितम्बर, 1949 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका सम्पूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की सम्प्रभु इच्छा के ऊपर निर्णय में रुकावट नहीं बन सकती। 51वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, नादी, फिजी, आईलैण्ड में Fighting Corruption: What can Parliamentarians do? Workshop-F dated 7.9.2005 को हुई थी, जिसमें पार्लियामेन्टेरियन्स रोल के सम्बन्ध में अंकित कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं:—

> "In their discussions delegates agreed that the institution of Parliament has two fundamental roles to play in fighting corruption: (1) by exercising fully its oversight role, and (2) to ensure punishment of wrongdoers. In all its actions Parliament should aim to strengthen the demand for greater accountability and for clear laws against corruption. Laws enacted should aim to strengthen all institutions of governance and especially their independence so that any efforts on their part to fight corruption could not be stymied."

प्राचीन काल में भी अधिनियम में न्यायिक व्यवस्था के अधीन प्राय: विशेषाधिकार की मान्यता थी, जिसका क्षेत्र राजदरबार तक ही सीमित रहता था। परन्तु जनतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ-साथ संसद अपने विशेषाधिकार के प्रति जागरूक हुई, जिसका अंतत: परिणाम है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के लिए एवं अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के लिए पृथक प्रावधान किये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 (3) में यह प्रावधान रखा गया था कि:—

> "In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the Members and the Committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its Members and Committees, at the commencement of this Constitution."

भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संशोधन किये गये थे, जो 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा पुन: मूल रूप में रखा गया है। इसके उपखंड-3 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधानमंडल समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ में इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमंस की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 एवं 194 में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कभी-कभी न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है, जो प्रजातंत्र में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकारी नहीं है। न्यायपालिका एवं विधायिका को परस्पर विश्वास एवं एक-दूसरे के स्वतंत्र तथा गरिमापूर्ण क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए।

संविधान निर्माताओं ने विधायिका एवं न्यायपालिका के कार्यों में कोई टकराव न हो, इसके लिए अनुच्छेद 121 एवं 122 तथा अनुच्छेद 211 एवं 212 में स्पष्ट प्रावधान किया है। अनुच्छेद 121 एवं 211 में बड़ा ही स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद या राज्य विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं हो सकती है, वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 122 एवं 212 में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान रखा गया है कि संसद/राज्य विधान मंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया के किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। साथ ही, कोई न्यायालय संसद एवं राज्य विधान मंडल के किसी अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान मंडल की प्रक्रिया या कार्यसंचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। संसद एवं विधान मंडलों ने अनुच्छेद 121 एवं 211 में अंकित प्रावधान के अतिरिक्त भी अपने ऊपर स्वत: लागू कर लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों के न्यायाधीशों के कृत्यों की भी वह जांच नहीं करेगी, ताकि सबसे विशाल लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। न्यायपालिका को भी अपने ऊपर इसी प्रकार बंधेज रखना चाहिए कि किसी भी दृष्टिकोण से संसद एवं विधायिका के कार्य में उनके द्वारा हस्तक्षेप न हो, जिससे संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 121, 122, 211 एवं 212 का प्रावधान किया है, उसका पूरा-पूरा पालन हो सके।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री राघव राव ने वर्ष 1953 में ए॰के॰ गोपालन के मामले में व्यवस्था देते हुए तीनों अंगों को परिभाषित किया था:–

"The powers of each one of the three organs have to be exercised as fundamentally subject to the provisions of the Constitution relating to that organ individually as well as to the provisions relating to other organs. It is the respect that is accorded by one organ of the State to the others that ensures that healthy working of the Constitution, which is the acid test of its merits, whatever may be the paper value of its provisions."

संसद द्वारा जो माननीय सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं कारगर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका प्रभाव दूसरे अंगों पर भी सकारात्मक पड़ना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र और भी अधिक शक्तिशाली होगा और समाज भी स्वस्थ एवं समृद्ध हो सकेगा।

51वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के वर्कशाप-एफ की बैठक में जो अंतिम रूप से सहमति बनी थी, उससे मैं पूर्णरूप से सहमत हूं, जो निम्न प्रकार है:–

"Ultimately, delegates agreed that it was of the utmost importance that parliamentarians and public figures should conduct themselves publicly and privately in a blameless way, so that they can fully play a leadership role by providing an example to other members of society. In too many instances, some delegates said, the public stance some leaders take against corruption is undermined by their notorious private behaviour that is known to members of the public."

मैं उपरोक्त विवेचनों के आधार पर इस ऑगस्ट बॉडी के समक्ष कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली को अक्षुण्ण रखने एवं अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग रहना परम आवश्यक है तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत किसी हस्तक्षेप से बचने की अति आवश्यकता है। हमें अपनी स्मिता एवं सार्वभौमिकता के अभिरक्षा के संकल्प से कोई डिगा नहीं सके, यही हमारा प्रबल प्रयास होना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने विचार रखने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधान निर्माताओं की भावनाओं और संसदीय प्रणाली को शक्ति पृथक्करण से सुरक्षित करने में अग्रणीय भूमिका निभायी, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके। धन्यवाद।